उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या–2980–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 11–49पी / 89टी0सी0–7 दिनांक 09 नवम्बर, 2011

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल,
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ / केस्को,
कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
छठवां तल,
लखनऊ।

विषयः– अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और राशिकरण की धनराशि की अदायगी मे होने वाले सम्भावित विलम्बों को दूर करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0–1347–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2001–49पी / 89 टी0सी0 दिनांक 14.05.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निदेशित किया गया था कि सेवा में अन्तिम माह की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन / ग्रेच्युटी के अन्तिम भुगतान आदेश दे दिया जाना चाहिए। उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त परिषद के ओर से परिषदाज्ञा सं0–623–पेंशन–31 / राविप / 97–49 / 89 दिनांक 21.05.97 के प्रस्तर–5 (2) में यह भी आदेश है कि कर्मचारी को उसकी अधिवर्षता की आयु पर सेवा से निवृत्ति होने की नोटिस और उसके साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन–2 प्रतियां उसकी सेवा निवृत्त के तारीख के 8 माह पूर्व से पहले उपलब्ध करा दी जायें, और 8 मास के प्रथम मास के सेवा काल में कर्मचारी से भरवाकर प्राप्त कर लिये जायें। परन्तु कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों में निहित निर्देशों का पालन क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों / अधिकारियों के सेवान्त प्रासुविधाओं के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है एवं समय से पेंशनरी लाभ न मिल पाने के कारण पेंशनर्स में असन्तोष व्याप्त है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे निम्नवत् कहने का निदेश हुआ है :–

1. पूर्व निर्गत परिषदीय / कारपोरेशन के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व घोषित की जाय तथा ऐसे कार्मिकों के पेंशन प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियॉ सेवा निवृत्ति के 8 माह पूर्व उपलब्ध कराकर इस 8 मास के प्रथम मास में भरवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त कर लिया जाय।
2. कारपोरेशन के आदेश सं0–1536–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2003–46पी–89 दिनांक 21.05.2003 के प्रस्तर 5 के अनुसार संगत प्रकरणों में कारपोरेशन के अद्यतन परिपत्र सं0–2702–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 10–81–पें0एवंआर0 / 06 दिनांक 07.07.10 के अनुपालन में शतप्रतिशत अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जाय।
3. कारपोरेशन के पेंशन मामलों का प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन विनियमावली 2001 से सम्बन्धित पत्र सं0–135विनियम–23 / पाकालि / 2001–5 विनियम / 9 दिनांक 20.07.2001 में उल्लिखित नियमों एवं समय–सीमा का कड़ाई से पालन किया जाय।

भवदीय,

(नन्द लाल)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

माई कम्प्यूटर / डी / नैम्स आप माई डाक्यूमैण्ट / पेंशन / lalsir

क्रमशः–........2........

संख्या : 2980(I)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/11 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0–407 शक्ति भवन लखनऊ, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. कट फाइल।
9. सलाहकार (औ.सं.), उ.प्र.पा.का.लि. को उनके पत्र सं. 3245-औ.सं./2011-108-प्र.एस./96(ए) दि. 19.10.11 के सन्दर्भ में।

(नन्द लाल)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)